ई–मेल/पंजीकृत

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या–280 सा0प्र0/2017–टी–117टीआर/98–16 लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल, 2017

सेवा में,

1–अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी/मध्य/पश्चिमी), उत्तर प्रदेश।
2–समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
3–समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0।
5–समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उ0प्र0।

विषय :– ड्राइविंग लाइसेंस की भॉति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के प्रेषण हेतु रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीडपोस्ट के अनुरूप डाक–टिकट लगाने एवं संबंधित आवेदक का पूरा नाम व पता लिखा लिफाफा लिए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–727सा0प्र0/12–133टीआर/06–12, दिनांक 30.08.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–4 में लाइसेंस हेतु दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ आवेदक की आयु एव पते के सही होने के बारे में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, परन्तु पते एवं आयु के साक्ष्य के रूप में फर्जी प्रपत्रों के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत करने और कार्यालय में बारीकी से जांच न करने की शिकायतें संज्ञान में आयीं। ऐसी दशा में फर्जी पते पर ड्राइविंग लाइसेंस के बनने की संभावना रहती थी।

2– उक्त के दृष्टिगत यह महसूस किया गया कि आवेदक का रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट से लाइसेंस भेजे जाने से आवेदक के पते का सत्यापन भी हो जाएगा और लाइसेंस लेने जाने हेतु आवेदक को उस परिवहन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। इसके दृष्टिगत उक्त पत्र के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि यदि रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के अनुरूप डाक–टिकट लगा हुआ, आवेदक का पूर्ण पता लिखा हुआ लिफाफा आवेदन के साथ लिया जाय और लाइसेंस उस पते पर भेजा जाय तो आवेदक के पते का सत्यापन होने के साथ–साथ लाइसेंस की सुपुर्दगी भी सही पते पर हो सकेगी।

3– वर्तमान में निजी वाहनों का पंजीयन सम्बन्धी डाटा फीडिंग की कार्यवाही डीलर स्तर से ही हो रही है और डीलर अपने स्तर से उक्त पंजीयन सम्बन्धित प्रपत्र स्थानीय परिवहन कार्यालय में लाते हैं और सिस्टम पर मिलान करने के पश्चात् उन्हें एप्रूव कर दिया जाता है। तदोपरान्त पंजीकरण संख्या स्वयमेव जेनरेट होती है और पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित डीलर के प्रतिनिधि को दे दी जाती है और सम्बन्धित डीलर पंजीयन पुस्तिका सम्बन्धित वाहनस्वामी को सुपुर्द करता है। इस व्यवस्था में ऐसे वाहनस्वामियों के डीलर के यहां पंजीयन प्रमाण पत्र लेने जाना होता है, जिससे समय के साथ श्रम एवं आने–जाने के खर्च का वहन सम्बन्धित वाहनस्वामी को करना होता है।

4– यदि ड्राइविंग लाइसेंस की भांति ही डीलर से प्रत्येक वाहन सम्बन्धी पत्रावली के साथ वाहनस्वामी का पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर लिखा लिफाफा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीडपोस्ट टिकटयुक्त संलग्न कर दिया जाय और उसी में कार्यालय द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र रखकर वाहनस्वामी को प्रेषित कर दिया जाय साथ ही साथ प्रेषित किये जाने वाले समस्त पंजीयन प्रमाण–पत्रों का अभिलेख भी रखा जाये तो एक ओर वाहनस्वामी को पंजीयन प्रमाण–पत्र लेने डीलर के पास जाना नही पड़ेगा तथा अनावश्यक श्रम एवं खर्च की भी बचत होगी।

5– नए पंजीयन के अतिरिक्त जैसे–पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति, स्वामित्व हस्तान्तरण अंकन कराने, एचपीए चढ़वाने/कटवाने, अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत कराने, पता परिवर्तन अंकन कराने तथा पुनः पंजीयन कराने सम्बन्धी आवेदन पत्र भी सीधे वाहनस्वामी/उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सीधे परिवहन कार्यालय में प्रेषित किए जाते हैं, ऐसे आवेदन के साथ भी उपरोक्तानुसार डाक टिकट लगा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीडपोस्ट संलग्न कर दिया जाय और उसी में कार्यालय द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र रखकर वाहनस्वामी को प्रेषित कर दिया जाय तो वाहनस्वामी को पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु डीलर के पास जाना नही पड़ेगा।

अतः निर्देश दिए जाते हैं कि दिनांक 01 मई, 2017 से उक्त व्यवस्था को लागू कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त व्यवस्था को लागू करने से पूर्व समस्त डीलरों/अन्य संबंधित को स्थानीय समाचार–पत्रो एवं अन्य माध्यमों से उक्त व्यवस्था का जन–सामान्य के मध्य प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(के. रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0संख्या– (1)/सा0प्र0/2017–समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि वह भी अपने स्तर से समस्त डीलरों से समन्वय कर उक्त व्यवस्था लागू कराना सुनिश्चित करें।
3– वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त कैम्प कार्यालय।
4– गार्ड फाइल।

(के. रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।